

अभिलेख उपस्थापित किया गया।
अभिलेख दिनांक 24-08-22 की
उपस्थापित करें।

24-08-22 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभिलेख
दिनांक 26-12-2022 की उपस्थापित करें।

26-12-22 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभिलेख
दिनांक 20-4-2023 की उपस्थापित करें।

20-4-23 अभिलेख उपस्थापित / अभिलेख दिनांक 07-01-2023
की उपस्थापित करें।

7-02-24 अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रमण्डलीय
आयुक्त सिद्धभूम (कौल्लान) प्रमण्डल चर्चिबासा
का पत्रांक-1327 दिनांक 06-11-2023 द्वारा
शक्ति प्राप्त हुआ है। शाखा प्रबंधक केनरा
केनरा शहर के पत्रांक MISC/01/120223
दिनांक 02-12-2023 द्वारा सूचित किया गया है
कि देनदार श्री मनोज कुमार शर्मा का लीव खाला
निपटार के बाद बंद कर दिया गया है।
अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त
की जाती है।